न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 06/2016

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र–26/16

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती गौरा मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, किशनगढ

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री विनोद कुमार पुत्र रामबाबू विजयवर्गीय
   ग्राम–चौसला, तहसील अरांई जिला जिला–अजमेर।
2. श्री देवेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री रघुवीर सिंह राठौड,
3. श्रीमती संतोष कंवर पत्नि श्री हिम्मत सिंह,
   घर का पता– मझेला रोड, भैरव नगर, मदनगंज किशनगढ
   फर्म का पता–श्री एम करणी फूड,प्रोडक्टस प्लाट सं0 291 औद्योगिक क्षैत्र, सिलोरा, किशनगढ।
4. भवानीसिंह पुत्र श्री मदनलाल आजाद नगर, बस स्टैण्ड के सामने, किशनगढ
5. सीतादेवी पत्नि प्रभुदयाल निवासी धानमण्डी नया शहर, किशनगढ।
   दुकान का पता– मटका मण्डी पुराना शहर किशनगढ।
6. प्रभुदयाल पुत्र श्री मदनलाल विजयवर्गीय, धानमण्डी, नया शहर, किशनगढ

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार
श्री उत्तम गुरूबक्षानी — अभिभाषक अप्रार्थीगण 3 व 4
श्री अमरसिंह राठौड — अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 5 व 6

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 28.12.2016

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 25.8.2016 को पुलिस थाना किशनगढ द्वारा राशन के गैहूँ का अवैध परिवहन करते हुए टेम्पों वाहन नं0 आर. जे. 01 जीए–8437 पकडे जाने की सूचना जिला रसद अधिकारी अजमेर को दिए जाने पर उनके आदेशानुसार प्रार्थी प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने पर किशनगढ थाना परिसर में टेम्पों वाहन नं0 आर. जे. 01 जीए–8437 में 50 कट्टे वजन 24 क्वि 96 किलो 500 ग्राम गैहूँ भारतीय खाद्य निगम मार्का के मशीन सिलाई के रखे हुए पाये गये। टेम्पो चालक विनोद कुमार ने यह गैहूँ उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती सीता देवी पत्नि प्रभुदयाल की दुकान से लेकर आना तथा श्री एम करणी फूड प्रोडक्टस, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिलोरा के यहाँ ले जाना तथा 29 क्वि0 55 किलो इससे पहले वाले चक्कर में डालना बताया। इस पर प्रार्थी द्वारा श्री एम करणी फूड प्रोडक्टस, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिलोरा पहूँच कर उपस्थित फैक्ट्री मैनेजर भवानीसिंह पुत्र मदनलाल की मौजूदगी में जाचं की गई। फैक्ट्री के गोदाम में भारतीय खाद्य निगम मार्के के मशीन से सिले हुए 42 कट्टे गैहूँ से भरे हुए तथा 34 कट्टे

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

मूँह खुले हुए मिले जिन पर एफसीआई का मार्का था। कुछ खुला गैहूँ फर्श पर ढेर के रूप में था। फैक्टी में तीनों प्रकार के गैहूँ के कट्टों का इलेक्ट्रोनिक मशीन से वजन करवाकर तोल पट्टी बनाई गई। सिले हुए 42 कटटो का वजन 21.38 क्वि0, लूज (खुले हुए) 34 कट्टो में 14.44 क्वि0 तथा फर्श पर बिखरे हुए ढेर का वजन 6. 38 (13 कट्टे) इस प्रकार कुल 89 कट्टे वजन 42.20 क्वि0 को जब्त कर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मैनेजर भवानी सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। वाहन संख्या आर. जे. 01 जीए–8437 से पुलिस थाने में जब्त 50 कट्टे पास के राशन डीलर श्री नारायण प्रसाद पुत्र स्व0 श्री नानकराम उचित मूल्य दुकान मालियो की बाडी प्राधिकार पत्र संख्या 749/01 की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्म को जारी अनुज्ञापत्र के अनुसार मालिक श्री देवेन्द्रसिंह राठौड पुत्र रघुवीरसिंह राठौड एवं श्रीमती संतोष कंवर पत्नि हिम्मत सिंह जाहिर हुआ। जिला रसद अधिकारी द्वारा बनाये गये जांच दल के साथ चालक विनोद कुमार विजयवर्गीय द्वारा बताई गई दुकान श्रीमती सीता देवी पत्नि प्रभुदयाल की जांच की गई। उपस्थित डीलर के पति प्रभुदयाल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आज दिनांक 26.8.2016 को 44 लीटर केरोसीन तथा 6.40 क्वि0 गैहूँ का वितरण किया है। खाद्य विभाग के आदेश पोस मशीन (प्वांईन्ट आफ सेल) से ऑन लाइन करने के है। इस प्रकार डीलर के पति द्वारा अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध किये गये वितरण से स्पष्ट है कि डीलर द्वारा वितरण रजिस्टरों में फर्जी इन्द्राज कर गैहूँ की कालाबाजारी की जा रहीं है। आनलाइन डीलर के पॉस ट्रान्जेक्शन के अनुसार फरवरी 2016 तक डीलर ने के.वी.वी.एस किशनगढ से 900 क्वि0 गैहूँ का उठाव किया जिसमें से 535.40 क्वि0 का वितरण, वितरण रजिस्टर से किये जाने से डीलर द्वारा फर्जी इन्द्राज कर गैहूँ का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट होता है। उचित मूल्य दुकानदार प्रभुदयाल विजयवर्गीय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गैहूँ का फर्जी इन्द्राज कर कालाबाजारी करने, पोस मशीन से वितरण के आदेश होने के उपरान्त भी रजिस्टर से वितरण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 11, 17 (सी) एवं पी.डी.एस. कन्ट्रोल आदेश 2001 की धारा 6(4) का उल्लघंन किया है, एवं फर्म मैसर्स करणी फूड प्रोडक्ट्स द्वारा गैहूँ की कालाबाजारी में सहयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/8 का उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री 67 क्वि0 16 किलो 500 ग्राम गैहूँ एवं वाहन को राजसात करने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 25.8.2016 को पुलिस थाना किशनगढ द्वारा राशन के गैहूँ का अवैध परिवहन करते हुए टेम्पों वाहन नं0 आर. जे. 01 जीए–8437 पकडे जाने की सूचना जिला रसद अधिकारी अजमेर को दिए जाने पर उनके आदेशानुसार प्रार्थी प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने पर किशनगढ थाना परिसर में टेम्पों वाहन नं0 आर. जे. 01 जीए–8437 में 50 कट्टे वजन 24 क्वि 96 किलो 500 ग्राम गैहूँ भारतीय खाद्य निगम मार्का के मशीन सिलाई के रखे हुए पाये गये। टेम्पो चालक विनोद कुमार ने यह गैहूँ उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती सीता देवी पत्नि प्रभुदयाल की दुकान से लेकर आना

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

तथा श्री एम करणी फूड प्रोडक्टस, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिलोरा के गोदाम से जाना तथा 29 क्वि0 55 किलो इससे पहले वाले चक्कर में डालना बताया। इस पर प्रार्थी द्वारा श्री एम करणी फूड प्रोडक्टस, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिलोरा मौके पर उपस्थित फैक्ट्री मैनेजर भवानीसिंह पुत्र मदनलाल की मौजूदगी में जांच की गई। फैक्ट्री के गोदाम में भारतीय खाद्य निगम मार्के के मशीन से सिले हुए 42 कट्टे गेहूं से भरे हुए तथा 34 कट्टे मूंह खुले हुए मिले जिन पर एफसीआई का मार्का था। कुछ खुला गैहूँ फर्श पर ढेर के रूप में था। फैक्टी में तीनों प्रकार के गेहूं के कट्टो का इलेक्ट्रोनिक मशीन से वजन करवाकर तोल पट्टी बनाई गई। सिले हुए 42 कटटो का वजन 21.38 क्वि0, लूज (खुले हुए) 34 कट्टो में 14.44 क्वि0 तथा फर्श पर बिखरे हुए ढेर का वजन 6.38 (13 कट्टे) इस प्रकार कुल 89 कट्टे वजन 42.20 क्वि0 को जब्त कर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मैनेजर भवानी सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। वाहन संख्या आर. जे. 01 जीए–8437 से पुलिस थाने में जब्त 80 कट्टे पास के राशन डीलर श्री नारायण प्रसाद पुत्र स्व0 श्री नानकराम उचित मूल्य दुकान मालियो की बाडी प्राधिकार पत्र संख्या 749/01 की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्म को जारी अनुज्ञापत्र के अनुसार मालिक श्री देवेन्द्रसिंह राठौड पुत्र रघुवीरसिंह राठौड एवं श्रीमती संतोष कंवर पत्नि हिम्मत सिंह जाहिर हुआ। जिला रसद अधिकारी द्वारा बनाये गये जांच दल के साथ चालक विनोद कुमार विजयवर्गीय द्वारा बताई गई दुकान श्रीमती सीता देवी पत्नि प्रभुदयाल की जांच की गई। उपस्थित डीलर के पति प्रभुदयाल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आज दिनांक 26.8.2016 को 44 लीटर केरोसीन तथा 6.40 क्वि0 गैहूँ का वितरण किया है। खाद्य विभाग के आदेश पोस मशीन (प्वांईन्ट आफ सेल) से ऑन लाइन करने के है। इस प्रकार डीलर के पति द्वारा अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध किये गये वितरण से स्पष्ट है कि डीलर द्वारा वितरण रजिस्टरों में फर्जी इन्द्राज कर गैहूँ की कालाबाजारी की जा रहीं है। आनलाइन डीलर के पॉस ट्रान्जेक्शन के अनुसार फरवरी 2016 तक डीलर ने के.वी. वी.एस किशनगढ से 900 क्वि0 गैहूँ का उठाव किया जिसमें से 535.40 क्वि0 का वितरण, वितरण रजिस्टर से किये जाने से डीलर द्वारा फर्जी इन्द्राज कर गैहूँ का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट होता है। उचित मूल्य दुकानदार प्रभुदयाल विजयवर्गीय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गैहूँ का फर्जी इन्द्राज कर कालाबाजारी करने, पोस मशीन से वितरण के आदेश होने के उपरान्त भी रजिस्टर से वितरण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 11, 17 (सी) एवं पी.डी.एस. कन्ट्रोल आदेश 2001 की धारा 6(4) का उल्लघंन किया है, एवं फर्म मैसर्स करणी फूड प्रोडक्ट्स द्वारा गैहूँ की कालाबाजारी में सहयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/8 का उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री 67 क्वि0 16 किलो 500 ग्राम गैहूँ एवं वाहन को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी जब्त वाहन द्वारा सामग्री का परिवहन कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गैहूँ राशन के होने एवं इनका परिवहन करना अवैध होने की जानकारी अप्रार्थी को नहीं थी। यह वाहन ही अप्रार्थी का एक मात्र कमाई का साधन है। अप्रार्थी का वाहन थाने में पडा खराब हो रहा है। वाहन के अभाव में भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थी द्वारा वाहन को छुडवाने हेतु

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जुर्म नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जब्त वाहन छोडने के आदेश न्याय हित में प्रदान फरमावें। अप्रार्थी सं0 2 के प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र कथन है कि श्री करणी फूड प्रोडक्टस एक साझेदारी फर्म थी जिसकी शुरूआत 9.12.2010 को की गई थी। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 6.02.2015 को इस साझेदारी फर्म से विखंडन प्रलेख का निष्पादन कर फर्म की समस्त सम्पति से अपना त्याग पत्र देते हुए अखबार में आम सूचना प्रकाशित करवाने के बाद अप्रार्थी का उक्त फर्म से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उक्त तिथि के बाद फर्म की मालिक श्रीमती संतोष कंवर पत्नी हिम्मत सिंह, निवासी गदनगंज किशनगढ व अन्य साझेदार है तथा उनके द्वारा ही इसका संचालन किया जा रहा है अप्रार्थी सं0 2 का इस फर्म से कोई संबध नहीं है। लिहाजा प्रकरण से अप्रार्थी का नाम हटाया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3, 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि अप्रार्थी श्री एक करणी फूड प्रोडक्टस का मैनेजर नहीं होकर उसका लीज होल्डर है। अप्रार्थी द्वारा मै0 सम्पतलाल गौतमसिंह, मै0 प्रेमचन्द मोहनलाल, मै0 घीसालाल पदमचन्द जैन कमीशन एजेन्ट के इनवाइस नं0 कमशः 224 दिनांक 22.7.2016, 237 दिनांक 27.7.2016 व 4501 दिनांक 26.7.2016 एवं 213 दिनांक 8.8.2016 215 दिनांक 9.8.2016 के द्वारा उक्त गैहूँ कय किया गया था जिसका अप्रार्थी सं0 4 द्वारा खरीद एवं विक्री का पूर्ण विवरण स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ सं0 98 से 111 पर संधारित है। संधारित स्टॉक को प्रार्थी द्वारा मनगढन्त मिथ्या तथ्यों के आधार पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए अवैधानिक तरीके से प्राकृतिक न्याय, नियम एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत केवल मात्र एफ.सी.आई मार्के का बारदाना जो कि बाजार में हर जगह उपलब्ध पाया जाता है के आधार पर कब्जे राज लिया जाकर धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त सरकार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधिमान्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योगय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 4 का कब्जे राज लिया गया गैहूँ अप्रार्थी को लौटाया जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान फरमावें। अप्रार्थी सं0 5 व 6 के अभिभाषक ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि उचित मूल्य दुकान की जांच में समस्त सामग्री स्टॉक रजिस्टर अनुसार सही पाई गई है। जब्त किया गया गैहूँ अप्रार्थी सं0 5 की दुकान का नहीं है। जब्त गैहूँ को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी सं0 5 व 6 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं0 01 को टेम्पों वाहन नं0 आर. जे. 01 जीए–8437 के द्वारा राशन के गैहूँ का अवैध परिवहन करते हुए पुलिस थाना किशनगढ द्वारा पकडा गया है। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा करवाई गई जांच एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 229/2016 दिनांक 26.8.2016, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ द्वारा जिला रसद अधिकारी अजमेर को जारी पत्र कमांक 4104 दिनांक 25.8.2016, फर्द मौका एवं जप्ती रिपोर्ट, फर्द पूछताछ, काटां पर्ची, तलपट्टी, आदि के अवलोकन से भी प्रार्थना पत्र तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 11, 17 (सी) एवं पी.डी.एस. कन्ट्रोल आदेश 2001 की धारा 6(4) का तथा फर्म मैसर्स करणी फूड प्रोडक्ट्स द्वारा गैहूँ की कालाबाजारी में सहयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/8 का

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उल्लघंन किया जाना स्पष्ट है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कब्जे राज लिया गया 67 क्वि 16 किलो 500 ग्राम गैहूँ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर राजसात किये गये गैहूँ का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त रशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावें। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वाहन टेम्पों नं0 आर. जे. 01 जीए–8437 को अवैध रूप से राशन के गैहूँ की कालाबाजारी के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने कारण रूपये 10000/– अक्षरे दस हजार की शास्ति आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर, आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर वाहन टेम्पों नं0 आर. जे. 01 जीए–8437 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित को सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द करें। प्रार्थना पत्र (सुपुर्दगीनामा) दर्ज फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.012.2016 को मेरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner